हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

[illegible]	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। मुलाहिजा हुआ। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ख0सं0 1800/1480 रकबा 0.2104 हैक्टे0 वाके ग्राम महराना पटवार मण्डल सीन्ना तह0 तालेडा प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि है जिस पर खलवाड़ हेतु एक मजबूत कोठार बनी हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण ने बिना प्रार्थी की जानकारी के अप्रार्थीगण की कब्जा करने की नियत से रख रखा है। जब अप्रार्थी को मना किया गया तो अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने आ गये किन्तु आपस की समझाइश से चले गये किन्तु दिनांक 16.7.2023 को पुनः मौके पर आये एवं कब्जा करने का प्रयास किया गया। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 सामान्य वर्ग के सदस्य है जिन्हें प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के सिर्फ खातेदारी अधिकार है उक्त आराजी पर अप्रार्थी का पूर्व से कब्जा होने से वास्तविक स्वामी और कब्जेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रा0पत्र वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण का विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी बाबत अन्य न्यायिक प्रकरण भी जेरकार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का वास्तविक स्वामी एवं कब्जेदार प्रार्थी नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का खातेदार प्रार्थी रमेशचन्द मेघवाल दर्ज रेकार्ड है किन्तु आराजी पर कब्जे का प्रश्न विचारणीय है चूंकी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो के मध्य कब्जे को लेकर ही विवाद है एवं इस बाबत पक्षकारान् के मध्य अन्य न्यायिक प्रकरण एवं पुलिस कार्यवाही जेरकार है ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर प्रकरण में प्रार्थी अथवा अप्रार्थीगण को बिना पूर्ण विधिक कार्यवाही किये कब्जेधारी माना जाकर सम्भव नही है। मूलवाद में साक्ष्य, दस्तावेज एवं वाद के तथ्यो पर आधारित तनकियात् का पूर्ण विवेचन कर वास्तवित तथ्यो को स्पष्ट किया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान् के मध्य विवाद जेरकार है एवं उक्त विवाद को रोका जाना भी न्यायिक सिद्धान्तो के मध्यनजर अतिआवश्यक है। अतः पक्षकारान् के मध्य शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं लिटिगेशन को रोके जाने हेतु प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी ख0सं0 1800/1480 रकबा 0.2104 हेक्टे0 वाके ग्राम महराना पटवार मण्डल सीन्ना तह0 तालेडा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रा0पत्र वर्णित आराजी के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रा0पत्र आराजी पर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति को ना तो स्वयं परिवर्तित करें, ना ही उक्त कार्य अपने प्रतिनिधी से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	